रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/आषाढ़ 21, 1935
No. 352] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASHADHA 21, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 485(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

(1) नियम 4 के उपनियम (1) में,-

(अ) खंड (क) में, -

(i) उपखंड (iii) में, "उपमहानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, (अग्निशमन)" शब्द और कोष्ठक के पश्चात् "प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, प्राचार्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iii) में, "अपर उप महानिरीक्षक" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपखंड (iv) में,-

(क) "ग्रुप कमांडेंट" शब्दों के पश्चात् "उप प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, उप प्राचार्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "प्राचार्य रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र, प्राचार्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) (उपखंड) (v) में," और उप कमांडेंट (अग्निशमन)" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर "उप कमांडेंट (अग्निशमन) और उप कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(v) उपखंड (vi) में , "उप प्राचार्य रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (ख) में-

(i) उपखंड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात :-

(xi) कांस्टेबल (कार्यपालक, अग्निशमन, आयुधिक,ड्राइबर,ड्राइबर-सह-पंप प्रचालक,नर्सिग सहायक,बैंड , फिटर और ट्रेडसमेन) ।

स्पष्टीकरण- उपनियम (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (xi) में उल्लेखित रैंकों से भिन्न उपनियम (1) के खंड (ख) में रैंकों का प्रत्येक प्रवर्ग उस प्रवर्ग से नीचे उल्लिखित रैंक से ठीक उच्चतर रैंक में होगा ।"

(ii) उपखंड (xii) का लोप किया जाएगा ।

(2) मूल नियमों के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"16 नियुक्ति की शक्तियां - अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, उप निरीक्षक और निरीक्षक के पद पर नियुक्तियां संबद्ध उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी और सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल के रैंकों में नियुक्तियां वरिष्ठ कमाण्डेण्ट /कमाण्डेण्ट द्वारा की जाएगी ।"

(3) मूल नियमों के नियम 28 में , उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

(4) मूल नियमों के नियम 33 में ,-

(क) उपनियम (5) के खंड (क) में , "निलंबन का कोई आदेश" शब्दों के स्थान पर , "उपनियम (7) के उपबंधों के अधीन निलंबन का कोई आदेश " शब्द और कोष्टक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (6) में, "निलबंन के आदेश की तारीख से 90 दिन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "उस तारीख से जिसको बल का अभ्यावेशित सदस्य निलंबित किया गया था, से नब्बे दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (7) में, "उपनियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु निलंबन के आदेश का ऐसा कोई पुनर्विलोकन उपनियम (2) के अधीन समझे गए निलंबन की दशा में आवश्यक नहीं होगा यदि बल का अभ्यावेशित सदस्य निलंबन के नब्बे दिन के पूरा होने के समय पर निरोध के अधीन रहता है और ऐसे मामले में पुनर्विलोकन के लिए नब्बे दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिससे अभिरक्षा में निरुद्ध बल का अभ्यावेशित सदस्य निरोध से निर्मुक्त किया जाता है या वह तारीख जिसको निरोध से उसके निर्मुक्त होने का तथ्य उसके नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाता है, जो भी पश्चातवर्ती हो ।"

(5) मूल नियमों के नियम 34 में,-

(i) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iv) शास्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा को कम करने के लिए कटौती, जो ऐसे वेतनमान, श्रेणी पद या सेवा जिससे उसकी अवनति की गई है, के लिए ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बल के अभ्यावेशित सदस्य की प्रोन्नति के लिए इस निदेश के साथ वर्जन होंगे कि क्या उक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रोन्नत होने पर-

(क) समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में कटौती की अवधि उसके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करने के लिए प्रचालन में रहेगी और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक ; और

(ख) बल का अभ्यावेशित सदस्य, उच्चतर समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में अपनी मूल ज्येष्ठता पुनः प्राप्त करेगा ।"

(6) मूल नियमों के नियम 35 में, "और अनुचर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(7) मूल नियमों के नियम 65 के उपनियम (2) में, "पर्यवेक्षक अधिकारी और सहायक उप निरीक्षक तथा उसकी रैंक से ऊपर के बल-सदस्य" शब्दों के स्थान पर "पर्यवेक्षक अधिकारी और बल के सभी अभ्यावेशित सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

(8) मूल नियमों के नियम 72 के उपनियम (1) में, खंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

(9) मूल नियमों के परिशिष्ट "ग" में "समूह ग और समूह घ कार्मिकों के लिए" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "समूह ख और समूह ग कार्मिकों के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

(10) मूल नियमों में, परिशिष्ट-घ के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परिशिष्ट - 'घ'

सेवोन्मुक्ति प्रमाण-पत्र

(नियम 59 देखिए)

विशिष्टियां

अनुप्रमाणित फोटो

1. नाम
2. पिता का नाम
3. सीआईएसफ संख्या
4. सेवोन्मुक्ति के समय धारित पद
5. शैक्षिक अर्हता- सिविल-तकनीकी
6. धर्म

7. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग है

8. पहचान चिन्ह और रक्त समूह

9. जन्म की तारीख

10. अभ्यावेशन की तारीख

11. सेवोन्मुक्ति की तारीख

12. सेवोन्मुक्ति की प्रकृति

13. सेवोन्मुक्ति से पूर्व आहरित वेतन

14. पदक, अलंकरण या पुरस्कार, यदि कोई हो

15. सीआईएसएफ की यूनिट या शाखा का पता जिसमें अंतिम सेवा की गई है

16. पिनकोड सहित स्थायी घर का पता

17. नातेदारी सहित अगले रक्त संबंधी का नाम

18. चरित्र

19. कर्मचारी के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

(शासकीय मुद्रा)

पर्यवेक्षकीय अधिकारी के हस्ताक्षर

और पदनाम

सेवोन्मुक्ति प्रमाण पत्र में "चरित्र" के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाया जाएगा :—

क्र.सं.	निर्धारण का प्रवर्ग	शर्तें
1.	अनुकरणीय	(i) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा ।

		(ii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन या सिविल/दांडिक न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं ।
		(iii) एसीआर/एपीएआर की क्वालिटी
2.	बहुत अच्छा	(i) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में न्यूनतम सात वर्ष की सेवा ।
		(ii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 8(i) और धारा 18 और नियमों के अधीन या सिविल/दांडिक न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं ।
		(iii) एसीआर/एपीएआर की क्वालिटी
3.	संतोषजनक	(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन किसी मुख्य या लघु दंड रहित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कम से कम तीन वर्ष की सेवा ।
		(ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए रैंक या श्रेणी में कोई अवनति ।
		(iii) एसीआर/एपीआर की क्वालिटी
4.	असंतोषजनक	(i) ऐसे मामले जो मद (1) से (3) में नहीं आते हैं ।
		(ii) केंन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम या नियमों के अधीन दो से अधिक बार रैंक या श्रेणी में अवनति ।

(11) मूल नियमों की अनुसूची -1 में ,-

(क) कम संख्यांक 5 के स्तंभ (2) की प्रविष्टियों में " वेतन श्रेणी या रैंक की अवनति" शब्दों के स्थान पर, "नीचे कम संख्यांक 6 पर उल्लिखित शास्ति को अपवर्जित करते हुए, निम्नतर समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति या समय बेतनमानं के निम्नतर प्रकम पर अवनति" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

14

(ख) कम सं0 2,3,4 और कम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ (6) में "निरीक्षक के अतिरिक्त" शब्दों के स्थान पर, "उपनिरीक्षक और निरीक्षक को छोड़कर" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) कम संख्यांक 12 के सामने स्तंभ (3) से स्तंभ (8) तक में "अनुचर" शब्द का लोप किया जाएगा ।

[सं. ई-32011/1/2011/एलएंडआर/सीआईएसएफ/कार्मिक/एमएचए]

हरीश चंदर, उप सचिव (कार्मिक-1)

टिप्पण -भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा0का0नि0 825(अ),तारीख 5 नबंबर,2001 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए -

सा0का0नि0 462 (अ), तारीख 9 जून ,2003

सा0का0नि0 356 तारीख 11 अक्टूबर 2003

सा0का0नि0 533 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2007

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2013

G.S.R. 485(E). —In exercise of the powers conferred by section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force Rules, 2001, namely:—

1 (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Industrial Security Force Rules, 2001 (hereinafter referred to as the principal rules), –

(1) in rule 4, in sub-rule (1),-

(A) in clause (a) ,-

(i) in sub-clause (iii), after the words and brackets "Deputy Inspector General, Deputy Inspector General (Fire)", the words, "Principal, Regional Training Centre, Principal, Fire Service Training Institute" shall be inserted;